

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

रतनलाल

बनाम

छोटलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

199/2021 ज.पत्र

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27 ¹⁰/₂₀₂₁

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज
रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती रतनलाल

पिता श्री प्रताप जी शर्मा

निवासी- गोदी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

गोदी (पि-8-पाल) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 46, 48, 49,

50, 51, 91, 184, 185

कुल कीता 8 कुल रकबा 1.61 है0 की पत्थरगढी
कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज
रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम गोदी स्थित खातेदारी की भूमि आराजी
नम्बर 46, 48, 49, 50, 51, 91, 184, 185

कुल कीता 8 रकबा 1.61 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी
किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का
खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500000 रुपये अक्षरे एक हजार पचास हजार
प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर
पेश हो।

(श्याम सुन्दर बिशनोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

